न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 88/2011
प्रविष्टि दिनांक 11–4–2011

बाबू खॉ पुत्र नाथू खॉ जाति मुसलमान निवासी देवड़ावास तहसील देवली जिला–टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक

2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण,परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित–(1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री रामधन सेनी अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 9–12–2021

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के 52/481 किलोमीटर से 157/500 के खण्ड जयपुर–टोंक–देवली के 4/6 निर्माण मे आने वाली भूमियों को अवाप्त किया गया है। ग्राम देवड़ावास तहसील देवली की भूमि ख0नं0 1396 में 1000 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई है,जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है। मुआवजा कृषि भूमि बारानी–1 की दर से निर्धारण किया गया है। जबकि अवाप्तशुदा भूमि में से 300 वर्गमीटर भूमि आबादी भूमि में परिवर्तित हो चुकी है। प्रार्थी की भूमि में दो नीम के पेड़ नहाने धोने के लिये छान्द पक्की, छीलर का पेड़ है जिसका मुआवजा निर्धारित डी0एल0सी0 दर से कम दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्तमान डी0एल0सी0 दर से मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी [illegible] की गई एवं अवार्ड 1632/09 दिनांक 26.6.2010 की पत्रावली [illegible]

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब [illegible] पत्र प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण [illegible] प्रार्थी की भूमि ख0नं0 1396 रकबा [illegible] वर्गमीटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:58:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

वाके ग्राम देवड़ावास तह0 देवली मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात 3 सी के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुये धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुद्वा भूमि पर स्थित (structures) का मुआवजा स्वतंत्र कन्सलटैट मैसर्स अजीत सर्वे एंव कन्सलटेन्ट्स प्रा.लि. जयपुर से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राज0सरकार की प्रभावी बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट (बी.सी.आर) के अनुसार मूल्यांकन कराया है,जो पूर्णतः सही व उचित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी–1 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एन0एच–12 टोंक क्षेत्र (अति0 जिला कलेक्टर टोंक) द्वारा अवार्ड सं0 1632/09 दिनांक 26.6.2010 ईशर पुत्र छीतर गुर्जर हि0 1/3 बाबू खॉ कोम मुसलमान हि0 1/3 सा0 देह बाबूलाल पुत्र ईशर लाल जाति गुर्जर निवासी देवड़ावास ढाणी देवड़ावास हि0 1/3 तह0 देवली के हक मे ख0नं0 1396 मे 1000 वर्गमीटर का बारानी–1 की दर से कूल 193600/रूपये का जारी किया गया है। अधिसूचना के प्रकाशन के समय अधिग्रिहित उक्त भूमि किस्म बारानी–1 दर्ज थी। प्रार्थी द्वारा भूमि के आबादी में परिवर्तित होने पेड़ पोधे होने छान बनी होने कम मुआवजा देना तथा गलत निर्धारण कर निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कोइ सबुत दस्तावेज पेश नही किये हैं। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 9–12–2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:58:43 IST
Reason: SelfAttested